य सहायक कलक्टर द्वितीय श्रेणी

मुखराम बनाम रामलाल

नं. 12/2020

30/5/23

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी को नोटिस की तामिल पश्चात रजिस्टर्ड डाक द्वारा हो चुकी है। आज दिनांक तक इनकी ओर से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं। अतः इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावे। वकील प्रार्थी के इल्जाम के निस्तारण तक अप्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा को पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन नहीं आया है। अतः प्रकरण में इल्जाम के निस्तारण तक उभयपक्षकारान को विवादित आराजियात ख.नं. 909, 910, 911, 959, 961 व 958/2059 वाके ग्राम मंजनगढ़ तहसील व जिला सीकर में राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर रजिस्टर से कटे। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।